न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2470–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–14 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील महेश्वर जिला खरगौन प्रकरण कमांक 6/अ–13/2013–14.

विनोद पिता हरिराम पाटीदार
निवासी सोमाखेडी तहसील महेश्वर जिला खरगौन म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

लक्ष्मण पिता ओंकार पाटीदार
निवासी सोमाखेडी तहसील महेश्वर जिला खरगौन म0प्र0

.....अनावेदक

श्री एस0के0श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री के.के.द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/11/15 को पारित)

1/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार तहसील महेश्वर जिला खरगौन द्वारा पारित आदेश 31–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार तहसील महेश्वर जिला खरगौन के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम सोमाखेडी स्थित सर्वे कमांक 58 रकबा 0.68 हेक्टेयर है । उक्त भूमि पर आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता ग्राम सोमाखेडी से होते हुये ग्राम चोली के पुराने रास्ते से होते हुये आवेदक के खेत की मेढ़ से था । उक्त रास्ते को आवेदक द्वारा रोक दिया गया है और झगडे पर अमादा है । अतः उक्त रास्ते को खुलवाये जाये । अनावेदक द्वारा उक्त आवेदन पत्र के साथ संहिता की धारा 32 के

अन्तर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ–13/2013–14 दर्ज कर दिनांक 31–7–2014 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर रास्ता खुलवाये जाने क़ा आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) तहसीलदार द्वारा अपने अंतरिम आदेश में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन रास्ता परम्परागत रास्ता है और गाड़ी, बैल आदि के निशान पाये गये हैं, अतः आवेदक द्वारा अनावेदक का रास्ता किस प्रकार रोका गया है, स्पष्ट नहीं है ।

(2) स्थल पंचनामा में स्पष्ट उल्लेख है कि अनावेदक द्वारा चाहे गये रास्ते में आवेदक का ट्यबबैल स्थित है, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा ट्यूबबैल के उपर से रास्ता देने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(3) आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष स्पष्ट आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि उसके द्वारा वर्ष 1998 में पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से 16 वर्ष पूर्व से भूमि क्रय की जाकर उस काबिज है और विक्रय पत्र में विवादित रास्ते का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि अनावेदक द्वारा 4 वर्ष पूर्व ही भूमि क्रय की गई है, अतः प्रश्नाधीन रास्ता परम्परागत रास्ता होने संबंधी अनोवदक का कथन गलत है, परन्तु तहसीलदार द्वारा उसके आवेदन पत्र पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है।

(4) अनावेदक को अपनी भूमि पर आने–जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, इसके बावजूद भी नया रास्ता देने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण कर आवेदक की सहमति के आधार पर अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है । इस आधार पर कहा गया कि सहमति पर पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश विधिसंगत एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा कोन सा रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है स्पष्ट उल्लेख नहीं है । केवल उल्लेख किया गया है कि अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र में जिस रास्ते की मॉग की गई है वही रास्ता आवेदक की कृषि भूमि में आने–जाने का रास्ता है और उसी का वह उपयोग कर रहा था, जबकि तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वह स्पष्ट आदेश पारित करते कि अनावेदक किस रास्ते का उपयोग करेगा । इसके अतिरिक्त एक तरफ अनावेदक को आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 57 में से रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उसकी फसल को नुकसान नहीं करने निर्देश दिये गये हैं जो कि पूर्णतः विरोधाभासी कार्यवाही है । तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण के आधार पर जो रास्ता बतलाया गया है और आदेश में जो रास्ता खोला गया है, वह भी विरोधाभासी है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसील का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह मौके पर उभयपक्ष की उपस्थित में विधिवत् स्थल निरीक्षण कर रास्ते के संबंध में वैधानिक एवं उचित आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील महेश्वर जिला खरगौन द्वारा पारित आदेश 31–7–2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर